-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **विभिन्न स्थानों से चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम देने 03 अभियुक्तों को थाना नरैनी व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस, चोरी के सामान आदि बरामद।**
- **अभियुक्तों द्वारा दिनांक 12/13.05.2025 की रात्रि को कस्बा बिसंडा में आभूषण की दुकान में चोरी की घटना सहित बदौसा, नरैनी आदि स्थानों पर चोरी/लूट की घटनाओं को दिया गया है अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री अम्बुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.05.2025 को थाना नरैनी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 03 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 16/17.05.2025 की रात्रि मे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम पनगरा नहर के पास बन्द पड़ी पहाड़ की खदान में कुछ लोग चारपहिया से इकट्ठा है और जनपद में घूम-घूमकर चोरी कर रहे है। सूचना पर तत्काल थाना नरैनी व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर छापेमारी कर घेराबन्दी की गई तो उक्त लोगों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही करते हुए तत्परता से घेरकर तीनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे अवैध तमंचे, जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस, चारपहिया वाहन सहित चोरी के सामान बरामद हुए है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह इस चारपहिया गाड़ी से घूम-घूमकर कर चोरी करते है तथा प्राप्त माल व रुपयों को आपस में बाट लेते है। साथ ही बताया कि लगभग डेढ़ माह पूर्व पनगरा में एक गाड़ी से बैटरी चोरी किए थे एवं जनवरी महिने में तुर्रा बदौसा के सरकारी स्कूल के कमरों का ताला काटकर बैटरी, इनवर्टर, टी0वी0 आदि चोरी किए थे तथा दिनांक 12/13.05.2025 की रात्रि में कस्बा बिसण्डा में एक आभूषण की दुकान का शटर काटकर चोरी किए थे।

बरामदगी-

- 02 अवैध तमंचा
- 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर
- 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस
- 01 चारपहिया (KWID) (चोरी/लूट की घटना में प्रयुक्त)
- 11600 रुपये (चोरी की सामान बिक्री से प्राप्त)
- अदद् प्लेट पीली/सफेद धातु (चोरी के)
- 03 अदद् नारियल सफेद धातु (चोरी के)
- 02 अदद् बिछुवा सफेद धातु (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शीबू अंसारी पुत्र वहिद अंसारी निवासी बांदा रोड कस्बा व थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. रवि राजपूत पुत्र रामचन्द्र राजपूत निवासी राजनगर कस्बा व थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. अरुण कुमार पुत्र दशरथ निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 142/25 धारा 313/109/305/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 87/25 धारा 303 बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 02/25 धारा 305 बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 165/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राम मोहन राय सिंह प्र0नि0 नरैनी मय टीम
2. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी प्रभारी एसओजी मय टीम